न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 34/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/42)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कोमलजीत कौर पुत्री चांदपाल जाति बावरी निवासी चक 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद गांव सहारण तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।		1. हरप्रीत कौर पत्नी चांदपाल जाति बावरी निवासी चक 45 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. मुन्नी पत्नी राजपाल सिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 02.04.2025

उपस्थितः1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी

——निर्णय—— दिनांक :07.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिया के पिता एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पति चांदपाल पुत्र महेन्द्र सिंह के नाम चक 58 एफ, पटवार मण्डल 58 एफ, भू.अ. नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 4 की 3.111 हैक्टेयर भूमि में से 0.923 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी तथा चांदपाल की मृत्यू के पश्चात् उक्त भूमि जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 133 दिनांक 05.03.2008 के द्वारा मुझ वादिया एंव मुझ वादिया की माता प्रतिवादी संख्या 1 एंव मुझ वादिया की दादी लाभ कौर पत्नी महेन्द्र सिंह को प्राप्त हुई तथा जिसके पश्चात् मुझ वादिया की माता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसके पति चांदपाल से प्राप्त भूमि की दस्तबरदारी मुझ वादिया के हक में करवा दी गई। राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार मण्डल 58 एफ, भू.अ. नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/33 की कुल 3.111 हैक्टेयर भूमि में मुझ वादिया की दादी लाभ कौर के नाम 0.307 हैक्टेयर नहरी भूमि दर्ज है। उक्त भूमि मुझ वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पति/पिता की मृत्यू के उपरान्त लाभ कौर को प्राप्त हुई है। उक्त भूमि मौखिक घरू बंटवारा से वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। लाभ कौर की मृत्यू हो चुकी है। लाभ कौर की पुत्री दलजीत कौर पूर्व में ही अपने पिता की सम्पति में से हिस्सा ले चुकी है तथा अपने ससुराल में राजीखुशी आबाद है। उक्त सम्पति में दलजीत कौर का कोई हक एंव हिस्सा नहीं बनता है। उक्त भूमि में अब चांदपाल के जायज एंव कानूनी वारिसान होने की वजह से मुझ वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 1 का हक एंव हिस्सा बनता है। क्योंकि उक्त भूमि चांदपाल के हिस्सा की भूमि थी तथा चांदपाल के शेष भाई बहिन,माता इत्यादि पूर्व में ही अपना हक एंव हिस्सा प्राप्त कर चुके है। आज से दो रोज पूर्व वादिया पुनः प्रतिवादीगण से मिली और उनसे आग्रह किया कि आप लाभ कौर के नाम जो भूमि वर्तमान में दर्ज है, वह भूमि लाभ कौर को चांदपाल की मृत्यू के पश्चात विरास्तन प्राप्त हुई है तथा मौखिक घरू बंटवारनामा की रूह से उक्त भूमि के मालिक वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 1 है। जिसमें लाभ कौर के शेष वारिसान का कोई हक एंव हिस्सा नहीं बनता है, इसलिए आप लाभ कौर की भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपने नाम ना दर्ज करवाकर लाभ कौर की भूमि का इन्तकाल वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा देवे, तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार मण्डल 58 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/33 की कुल 3.111 हैक्टेयर भूमि में मुझ वादिया की दादी लाभ कौर के नाम 0.307 हैक्टेयर नहरी भूमि का मौखिक बंटवारानामा की रूह से वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार मालिक घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी कोमलजीत कौर व प्रतिवादीगण हरप्रीत कौर, मुन्नी के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा/समझौतानामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। दोनों पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा के अनुसार लाभ कौर के नाम राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार मण्डल 58 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/33 की कुल 3.111 हैक्टेयर भूमि में दर्ज 0.307 हैक्टेयर भूमि का वादिया कोमलजीत कौर को खातेदार घोषित किया जाता है, तो हम वादी व प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, राजीनामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-ःआदेशः-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर लाभ कौर के नाम राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/33 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 3.111 हैक्टेयर भूमि में दर्ज 0.307 हैक्टेयर भूमि का वादिया कोमलजीत कौर पुत्री चान्दपाल को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

[श्योराम (आर.ए.एस.)]
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

[श्योराम (आर.ए.एस.)]
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

कोमलजीत कौर बनाम हरप्रीत कौर आदि
धारा अन्तर्गत 88, 92ए, 188 आरटीए
मुकदमा नम्बर **34/2025**
निर्णय दिनांक :-07.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर लाभ कौर के नाम राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू. अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/33 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 3.111 हैक्टेयर भूमि में दर्ज 0.307 हैक्टेयर भूमि का वादिया कोमलजीत कौर पुत्री चान्दपाल को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 08.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	**रुपया**	**पैसा**	**मुदायली**	**रुपया**	**पैसा**
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	1450	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1454**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांकः 08.05.2025

क्रमांकः रीडर/2025/271
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)